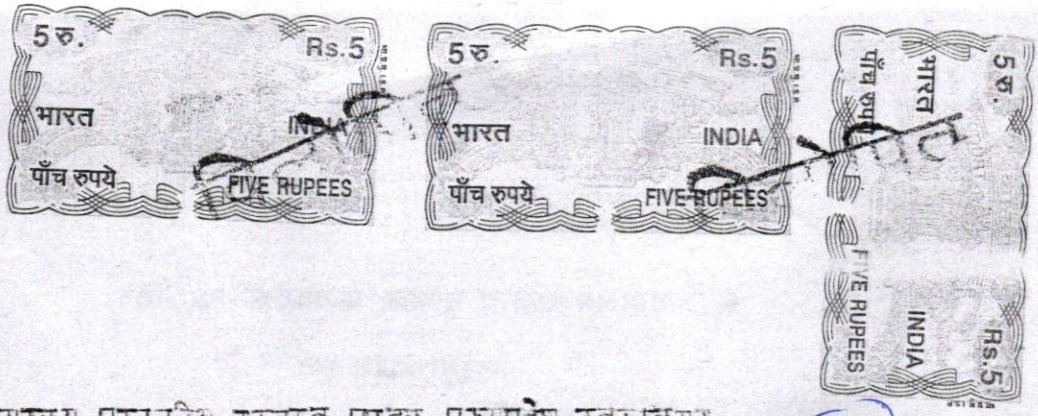

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(20)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /२०१८- पुनरविलोकन (रिव्यू)

पुनर्विलोकन- 6226/2018/बैतूल/भू.रा.

विट्ठल राव आत्मज श्री अन्ना कुनबी,
निवासी ग्राम धावला, तहसील- मुलताई,
जिला बैतूल-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थी

विरुध्द

१- ठगीबाई आत्मजा श्री अन्नाकुनबी,
२- रेखाबाई आत्मजा श्री अन्ना कुनवी,
दोनों निवासीगण ग्राम धावला,
तेहसील मुलताई, जिला बैतूल-म०प्र० ।
३- आशाबाई आत्मजा श्री अन्ना कुनबी,
साकिन- व्दारा विन्धया उपासे,
निवासी ग्रामरायआमला, तहसील- मुलताई,
जिला बैतूल-मध्यप्रदेश ।

----प्रतिप्रार्थीगण

श्री [illegible] ० द्वारा आज दि. 31-10-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-11-18 नियत। [signature] 31-10-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

3/11/018

पुनरविलोकन आवेदन-पत्र विरुध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (पीठासीन माननीय श्री मनोज गोयल -अध्यक्ष) दिनांक ३-१०-१८ । प्र०क्र० ४३६६ /२०१७ निगरानी। धारा ५१ भू-राजस्व संहिता ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **पुर्नविलोकन 6226/2018/बैतूल/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–11–2018	आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 3.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अत: यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	